न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 76/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुखाराम पुत्र सिमरथराम जाति सांसी निवासी ग्राम बोयल, तहसील पीपाड़ शहर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री गणपतलाल चौधरी प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.02.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम रईया नगर तहसील पीपाड़ शहर में खसरा नम्बर 60 रकबा 227 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय स्थित है इस भूमि में से 10 बीघा की खातेदारी प्रार्थी को दिनांक 11.02.1976 को आंवटन किया गया । आवंटन भूमि खसरा नम्बर 60/2 रकबा 10 बीघा का किया गया । उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम नामांकन संख्या 169 गैर खातेदारी इन्द्राज किया गया । उसके बाद प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा व काश्त होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 177 दिनांक 01.03.2016 को खातेदारी में दर्ज किया गया । प्रार्थी को खसरा नम्बर 60/2 रकबा 10 बीघा की भूमि आंवटित की हुई है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 177 में प्रार्थी की भूमि खसरानम्बर 60/2 की बजाय खसरा नम्बर 60/38 है जो एक सदभाविक लिपिकिय त्रुटि मालूम पड़ती है । जिसको प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रईया नगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 60/2 रकबा 10 बीघा का (प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश फरमावें तथा राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 60/38 के स्थान पर खसरा नम्बर 60/2 दर्ज करने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को मूल खसरा नम्बर 60 की भूमि से आंवटन किया गया है तथा 60/38 की तरमीम प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी । वर्तमान में प्रार्थी जिस जगह पर काबिज है व खसरा नम्बर 60 की भूमि है । हल्का पटवारी बोयल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी जिस भूमि पर अपना अधिकार बता रहा है वह भूमि ऐमदीन पुत्र मुबारक खां जाति सिन्धी के द्वारा पट्टियां रोपकर अतिक्रमण

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

किया होना बताया है, ऐमदीन पुत्र मुबारक खां के विरूद्ध उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण सं. 239/2016 दर्ज किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जहां प्रार्थी तरमीम कराना चाह रहा है वह भूमि खसरा नम्बर 60 का भाग है जो राजकीय भूमि है तथा प्रार्थ्री के पक्ष में राजकीय भूमि बिना किसी विधिक आदेश के बिना तरमीम नही की जा सकती है । प्रार्थी द्वारा तथ्यो को बढ़ा चढ़ा कर एवं गलत तरीके से प्रस्तुत करके राजकीय भूमि पर कब्जा करना चाहता है जो अवैधानिक है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जवाब तहसीलदार व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह पर काबिज है वह खसरा नम्बर 60 की भूमि है जो राजकीय भूमि है तथा प्रार्थी के पक्ष में राजकीय भूमि पर बिना किसी विधिक आदेश के तरमीम नही की जा सकती । प्रार्थी द्वारा तथ्यो को बढ़ाचढ़ा कर गलत तरीके से प्रस्तुत करके राजकीय भूमि पर कब्जा करना चाहता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner